[हय पोस्ट मास्टर जनरल डाक
रिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
नांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
जनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
क द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-06-08.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 276] भोपाल, बुधवार, दिनांक 20 जून 2007—ज्येष्ठ 30, शक 1929

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जून 2007

क्र. 15-एफ 1-07-07-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23, सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 37 तथा 73 और मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 70 तथा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (मेयर-इन-काउंसिल/प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एव कर्तव्य) नियम, 1998 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 5 के उप-नियम (1) के खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दो) नगरपालिका परिषद् और नगर पंचायत के मामले में:—

अनुक्रमांक (1)	प्राधिकारी (2)	नगरपालिका परिषद् (3)	नगर पंचायत (4)
1	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	पचास हजार रुपये तक	बीस हजार रुपये तक
2	प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल	पांच लाख रुपये तक	दो लाख रुपये तक
3	परिषद्	एक करोड़ रुपये तक	पच्चीस लाख रुपये तक."

2. नियम 8 के परन्तुक का लोप किया जाए.

क्र. 15-एफ 1-07-07-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 338 के साथ पठित धारा 355 तथा धारा 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका लेखा नियम, 1971 में निम्नलिखित और संशोधित करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 90 के खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(दो) चैक लेखापाल द्वारा लिखे जाएंगे किन्तु नगरपालिक परिषद् की दशा में रुपये दस हजार तथा नगर पंचायत की दशा में रुपये तीन हजार तक के समस्त चैक्स पर मुख्य नगरपालिक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जबकि नगरपालिका परिषद् की दशा में रुपये 10,000/- (दस हजार रुपये) से अधिक के चैक्स तथा नगर पंचायत की दशा में रुपये 3,000/- (तीन हजार रुपये) से अधिक के चैक्स पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी और साथ ही परिषद् के अध्यक्ष, के हस्ताक्षर होंगे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में परिषद् का ऐसा कोई पार्षद जो परिषद् द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत हो, हस्ताक्षर करेगा. पार्षद् के नमूने के हस्ताक्षर के सं संकल्प की एक प्रति कोषालय पदाधिकारी को सूचनार्थ मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अग्रेषित किए जाएंगे.

2. नियम 131 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"131 (1) पद "प्रशासकीय अनुमोदन" से अभिप्रेत है, वृत्तिक एवं अंतिम अनुमोदन होने के पूर्व, किसी निर्माण कार्य या विद्यमान निर्माण में परिवर्धन तथा सुधार के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी की सहमति.

(2) (एक) समस्त नवनिर्माण एवं विद्यमान निर्माणों में सुधार के लिए प्रशासकीय अनुमोदन अपेक्षित है.

(दो) प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रस्तावों के साथ प्रारंभिक प्राक्कलन और रेखांक भेजे जावेंगे.

(3) समस्त मामलों में प्रशासकीय अनुमोदन निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा दिया जाएगा:—

(एक) कार्य एवं क्रय जिनकी लागत पूर्णतः नगरपालिक निधि से वहन की जाना है:—

(क) मुख्य नगरपालिका अधिकारी: नगरपालिका परिषद् की दशा में रुपये 10,000 तक तथा नगर पंचायत की में रुपये 5,000 तक स्वीकृत किए जाएंगे.

(ख) अध्यक्ष : नगरपालिका परिषद् की दशा में 50,000 रुपये तक तथा नगर पंचायत की स्थिति में 25,000 रुपये तक स्वीकृत किए जाएंगे.

(ग) प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल : नगरपालिका परिषद् की दशा में 2 लाख रुपये तक तथा नगर पंचायत की दशा 1 लाख रुपये तक स्वीकृत किए जाएं.

(घ) नगरपालिका/नगर पंचायत की परिषद् : पूर्ण शक्तियां,

(दो) जबकि निर्माण की लागत तथा सामग्री के क्रय पूर्णतः या अंशतः राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से होने हों, प्रशासकीय अनुमोदन राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दिया जावेगा.

टिप्पणी.—महत्वपूर्ण प्रकार के नये भवनों के मामले में प्रशासकीय अनुमोदन देने वाला प्राधिकारी, प्रशासकीय अनुमोदन दे पूर्व ऐसे निर्माण कार्य के अंतिम विस्तृत रेखांक और प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निदेश दे सकेगा."